न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 16/2018

मोतीलाल पुत्र बनवारी जाति खाती निवासी नुहानियां तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम मोतीलाल अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 104/2016 निर्णय दिनांक 08.11.2016

उपस्थितिः—

1 .श्री राजेश पूनियां , एडवोकेट ——— ——— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 29.07.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.11.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मोतीलाल मु0नं0 104/2016 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—जमीन हाल खसरा नंबर 308 रकबा 14.35 हैक्टर तथाकथित किस्म गैर मुमकिन जोहड़ सरहद राजस्व ग्राम नुहनिया तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन में से 0.02 हैक्टर जमीन पर तथाकथित रूप से अपीलांट द्वारा खुडडी व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर लगान की 50 गुणा राशि 4 रूपये से दण्डित किये जाने व बेदखली का आदेश दिनांक 8.11.2016 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि—मौजुदा प्रकरण में धारा 91 एलआर एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। विवादित जमीन हाल खसरा नंबर 308 पर काफी आबादी बसी हुई है तथा उक्त जमीन की किस्म गैर मु0 आबादी रही है। कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न हो वहां वाद रेगुलर कार्यवाही के द्वारा ही किसी व्यक्ति को बेदखलकिया जा सकता है ना कि सरसरी

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

कार्यवाही के द्वारा। विवादित जमीन पर जलदाय विभाग व पीडब्ल्यूडी द्वारा सरकारी कुआ बनाया हुआ है। जमीन हाल खसरा नंबर 308 के गत खसरा नंबर 321 थे। अपीलांट जहां रिहायश करता है उस जमीन में से ग्राम पंचायत ने आबादी विस्तार के मुताबिक अपीलांट के पिता बनवारीलाल के हक में 15 गुणा 10 = 150 वर्ग गज का पट्टा दिनांक 04.12.1975 को ग्राम पंचायत काजला ने अपीलांट के पिता के हक में जारी किया है। इस प्रकार मौजुदा प्रकरण में धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। अदालत मातहत ने अपीलांट के पिता के हक में जारी पट्टे को आलौच्य निर्णय जैर बहस पारित करने में नजर अन्दाज किया है। पट्टे बाबत निर्णय में कोई आधार दर्ज नहीं किया तथा अपीलांट को विवादित जमीन पर अतिक्रमी मानने का कोई आधार दर्ज नहीं किया। आलौच्य निर्णय साईक्लोस्टाईल प्रफोर्मा पर पारित किया है, इस कारण पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 08.11.2016 खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। विवादित जगह पर अपीलांट का पुराना पूर्वजों के समय से कब्जा है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधि0 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । पारित निर्णय स्पीकिंग नहीं है। विवादित जमीन हाल खसरा नंबर 308 पर काफी आबादी बसी हुई है तथा उक्त जमीन की किस्म गैर मु0 आबादी रही है। कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न हो वहां वाद रेगुलर कार्यवाही के द्वारा ही किसी व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है ना कि सरसरी कार्यवाही के द्वारा। विवादित जमीन पर जलदाय विभाग व पीडब्ल्यूडी द्वारा सरकारी कुआ बनाया हुआ है। जमीन हाल खसरा नंबर 308 के गत खसरा नंबर 321 थे। अपीलांट जहां रिहायश करता है उस जमीन में से ग्राम पंचायत ने आबादी विस्तार के मुताबिक अपीलांट के पिता बनवारीलाल के हक में 15 गुणा 10 = 150 वर्ग गज का पट्टा दिनांक 04.12.1975 को ग्राम पंचायत काजला ने अपीलांट के पिता के हक में जारी किया है। इस प्रकार मौजुदा प्रकरण में धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। अदालत मातहत ने अपीलांट के पिता के हक में जारी पट्टे को आलौच्य निर्णय जैर बहस पारित करने में नजर अन्दाज किया है। पट्टे बाबत निर्णय में कोई आधार दर्ज नहीं

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

किया तथा अपीलांट को विवादित जमीन पर अतिक्रमी मानने का कोई आधार दर्ज नहीं किया। आलौच्य निर्णय साईक्लोस्टाईल प्रफोर्मा पर पारित किया है, इस कारण पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 08.11.2016 खारिज किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 308 रकबा 14.35 हैक्टर किस्म गैर मु0जोहड़ में से 0.02 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी भूरीवास की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नुहनिया खसरा नंबर 308 रकबा 14.35 हैक्टर किस्म गैर मु0जोहड़ में से 0.02 हैक्टर भूमि पर खूड़ी व बाड़ा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है । अपीलांट का जहांतक वादग्रस्त भूमि का ग्राम पंचायत काजला द्वारा जारी पट्टे का प्रश्न है। ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जोहड़ की भूमि पुराने के कब्जे के आधार पर भी नियमन योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2016 उनवानी सरकार बनाम मोतीलाल मु0नं0 16/2018 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू